

अति महत्वपूर्ण

मरणा— 43 / ११-२०११-१८(जी) / ०६

अनुमोदन अनुमान

सूखा संविधान

उत्तर प्रदेश शासन।

संवाद में

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुमान—11

लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2011

विषय वर्ष 2011 में सूखा होने की दशा में कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसून अवधि में कम वर्षा होने की स्थिति में सूखे की स्थिति सम्भावित होती है, जिससे जायद एवं खरीफ की फसलों के लिये सिचाई, मनुष्यों के लिये पेयजल और विभिन्न वीमारियों तथा पशुओं हेतु पेयजल एवं घारे के साथ-साथ विभिन्न वीमारियों का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल जनपद की सूखा प्रबन्ध योजना तैयार करने की आदश्यकता है जिससे कि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर बिना किसी विलम्ब के उसका पूर्ण तैयारी के साथ सामना किया जा सके एवं जन-सामान्य को न्यूनतम असुविधा हो।

2. सूखा प्रबन्ध योजना बनाने में आपके स्वयं के अनुभव, विभागों की दक्षता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव का सदुपयोग किया जाना लाभदायक होगा। अतः तत्काल इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर गठित सूखा परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कर ली जाये। बैठक में प्रबन्ध योजना के सभी प्रमुख बिन्दुओं पर विवारण से वर्द्धि कर उसे अन्तिम रूप दिया जाये। जनपद की अद्यतन सूखा प्रबन्ध योजना की एक ज्ञात शासन के राजस्व अनुमान—11 को विलम्बतम दिनांक 15 मार्च, 2011 तक अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

3. यद्यपि प्रत्येक जनपद को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के आधार पर प्राथमिकताएं चिनित करनी होगी, तथापि कलिपय सामान्य बिन्दु जो प्रत्येक जनपद के लिए सुनिश्चित है, को विभागवार-नीचे इगत किया जा रहा है, इन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए—

### पंचायतीराज विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / नगर विकास विभाग

- पेयजल की सभी स्रोतों / संसाधनों की उचित मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग हेतु तैयार करना।
- खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिश्चित करना।
- पेयजल के कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा करना।
- पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों / नलकूपों / निझी नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों के भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- खटिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

### ऊर्जा विभाग

- खराब ट्रान्सफार्मर निर्धारित अवधि में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।

### सिंचाई विभाग

- सिंचाई के सभी संसाधनों / सरकारी नलकूपों के घालू स्थिति में रखना।
- नहरों के रोस्टर के अनुसार चलाये जाने की व्यवस्था।
- नहरों की अवैध कटान पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था।

### चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग

- मनुष्यों को न् संक्रामक रोगों एवं महामरियों से बचाने के लिए आवश्यक निषेधात्मक व्यवस्था एवं रुधन चिकित्सीय व्यवस्था।
- महामरियों से नियन्त्रण हेतु यांचित दवाओं को चिन्हांकन करके समुचित स्टाक की व्यवस्था।

### पशुधन विभाग

- पशुओं के घारे के अमाव की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था।
- महामरी के नियन्त्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन करके समुचित स्टाक की व्यवस्था।

### खाद्य एवं रसद विभाग

- आक्रमिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था की योजना।
- कुपोषण की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना।

### कृषि विभाग / उद्यान विभाग

- मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार प्रसार करना।
- वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज के प्रबन्ध की व्यवस्था।

—फसलों में रोग बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं लो समुचित व्यवस्था।  
उक्त कार्य सद्वित दिभागों के बजट से ही कराये जाने चाहिये।

4. आप अवगत हैं कि आपदा राहत निधि का उपयोग विभागीय योजनाओं के संबंधन, विस्तार या अनुरक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है। आपदा आ जाने की स्थिति में निर्धारित मदों में ही आपदा राहत निधि से धनराशि व्यय करने की अनुमन्यता है। सम्भावित आपदा से बचाव के लिए धनराशि व्यय करना अनुमन्य नहीं है।

5. वर्षा के अमाव में आजीविका के लिए नजदूरी पर आन्तरिक खेतिहार मजदूरों की समस्या के निदान हेतु सर्वप्रथम मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब इन मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग हो जाये तथा मनरेगा के अन्तर्गत मारत सरकार से कोई अतिरिक्त किश्त प्राप्त करना सम्भव न हो/उपलब्ध न हो रहा हो तब जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव आयुक्त, ग्राम्य विकास को प्रेषित करेंगे और वे इस प्रस्ताव को पूरे प्रदेश के सदर्म में संहत रूप में तैयार करके अपने प्रशासकीय दिभाग (ग्राम्य विकास विभाग) के माध्यम से प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के दियारार्थ/अनुमोदनार्थ संदर्भित करेंगे।

6. ग्रीष्मऋतु में सूखे पदार्थों की अधिकता के कारण आग लगने की सम्भावनाओं में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवन, आवास, पशु और फसल की हानि होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अग्निकाण्ड न्यूनीकरण हेतु आम लोगों को जागरूक बनाया जाये एवं आवश्यकता नहीं। १३ अग्निरक्षण रोकथाम या रक्षकात् उपयोग हो सके इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। अग्निकाण्ड (दैवीय आपदा) प्रभावित व्यक्तियों को शासनादेश संख्या—८८७ / १-११-२००५— रा०-११-४(जी) / २००३, दिनांक १५.४.२००४ एवं शासनादेश संख्या—५६५ / १-११-२०१०-१८(जी०) / २००६, दिनांक ०२.०७.२०१० के अन्तर्गत समय से राहत सहायता उपलब्ध करायी जाये।

7. समय से पर्याप्त वर्षा न होने अर्थात् सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में इसका जायद एवं खरीफ की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की पूर्ण सतर्कता के साथ सतत समीक्षा की जाये। इस कार्य में कृषि एवं उद्यान दिभाग के अधिकारियों का विशेषज्ञ परामर्श एवं सहयोग भी प्राप्त किया जाये। उनपद में अवधेष्ण के कारण खरीफ की फसलों की कृति के सम्बन्ध में दिनांक ३० जून, १० जुलाई, २५ जुलाई एवं ३१ जुलाई को निर्धारित प्रारूप पर फसलवार विवरण उपलब्ध कराया जाये।

8. पेयजल, विद्युत आपूर्ति, महामारी आदि के सम्बन्ध में दिनांक 25 मई, 2011 से 31 अगस्त, 2011 तक संलग्न प्रारूप पर सूचना प्रत्येक सोमवार को वेबसाइट जिसका पता <http://upgov-up-nic-in/rahat> है, पर उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता  
मुख्य सचिव।

संख्या— 43 (1)/1-11-2011-18(जी)/06, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सूखे की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग-11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें—

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

के० क०सिन्हा  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-43(2) / 1-11-2011-18(जी) / 06, तददिनांक  
प्रतिरिक्षण निम्नलिखित को सूचनाएँ उत्तराधिक कार्यवाहो हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
5. महानिदेशक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
13. राजस्व अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

केऽको सिन्हा


प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-43 (3) / 1-11-2011-18(जी) / 06, तददिनांक

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थी।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थी।

आज्ञा से,

(  
आनन्द प्रकाश उपाध्याय )

संयुक्त सचिव।